

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :- 398

दिनांक :- 09-08-2026

श्रीमान उपवन संरक्षक
बारां

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- शासन सचिव वन राजस्थान सरकार के पत्रांक प.व. (22) वन/2015 दिनांक 27.01.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर के पत्र दिनांक 17.03.2024 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त के क्रम में उपवन संरक्षक बारां द्वारा 18.04.2019 को 23,48,696/- रुपये की डिमाण्ड राशि जारी की गई जिसका भुगतान विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2019 को कैम्पा खाते में जमा करा दिया गया था तथा समस्त बिन्दुओं की पूर्ति कर कम्पलाईन्स रिपोर्ट कार्यालय के पत्रांक 119 दिनांक 25.04.2019 को जमा करा दी गई थी। विभाग द्वारा भुगतान कर दिये जाने तथा गैर वन भूमि आवंटित कर दिये जाने के उपरान्त कार्य जनपयोगी होने के क्रम में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर 19.08.2020 को पूर्ण कर दिया गया था। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 22,83,348 रुपये जमा करा कर अन्तिम स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तों एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।

प. नि. वि. शाहबाद
10-6-2026

(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :- 1542

दिनांक :- 06/12/2025-

श्रीमान उपवन संरक्षक
बारां

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- शासन सचिव वन राजस्थान सरकार के पत्रांक प.व. (22) वन/2015 दिनांक 27.01.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर के पत्र दिनांक 17.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्यका निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 22,83,348 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तों एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।

(बसन्त कुमार गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

बसन्त कुमार गुप्ता

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड-शाहबाद

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सार्वजनिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुखस/

7328

दिनांक 28-08-2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.08.2023 को 11:30 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ग्रेटेर नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में जिला बारां के शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में प्रगति के संबंध में रागीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री दीपक कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, बारां।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफ0सी0ए0 कार्या0हाजा
4. श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. श्री हरि प्रसाद भीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।
6. श्रीमती प्रियंका भीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।
7. श्रीमती सांतवाना सिंह, सहायक अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 ने अवगत कराया गया कि बारां जिले के शाहबाद खण्ड से वन भूमि प्रत्यावर्तन के परिवेश -। पर कुल 32 प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। जिनमें 12 प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति, 11 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं 9 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। विधिवत स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होने एवं अन्य प्रकरणों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये:-

1. प्रक्रियाधीन 9 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/9251/2015	Construction of Road from Kedarkui to Muhal	Road	4.3	10.01.2015	Pending at DFO/DCF
2	FP/RJ/ROAD/40677/2020	construction of widening, and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road(MDR-47) 0/475to 19/0	Road	3.893	19.09.2020	Pending at DFO/DCF
3	FP/RJ/ROAD/150784/2022	Paraniya to Chattarganj road	Road	3.73	21.09.2022	Pending at DFO/DCF
4	FP/RJ/ROAD/6958/2014	Road Work From Bichi to Rampur Upreti	Road	2.68	8.09.2014	Pending at DFO/DCF
5	FP/RJ/ROAD/34310/2018	Construction and widening of ramgarh mata ji parikrma road	Road	9.06	18.09.2019	Pending at DFO/DCF
6	FP/RJ/ROAD/34657/2018	Construction of road chorakhari to nayagoun via maheshpur	Road	1.872	30.08.2019	Pending at Nodal officer
7	FP/RJ/ROAD/30083/2017	Construction of shahbad to rajpur road	Road	4.0	29.12.2017	Pending at Nodal officer
8	FP/RJ/ROAD/34416/2018	construction of road from ganjan to sunwas	Road	3.425	30.08.2019	Pending at Nodal officer
9	FP/RJ/ROAD/34417/2018	Construction of road from Dikwani to gadar ishartori	Road	6.21	30.08.2019	Pending at Nodal officer

उपरोक्त के क्रम में उप वन संरक्षक बारां एवं उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 कार्या0 हाजा0 को निर्देशित किया गया कि प्राप्त प्रकरणों को एक सप्ताह में प्रोसेस कर आवश्यक कार्यवाही करें एवं यूजर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि पुराने प्रस्ताव जिनमें सड़क निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं हो (उन प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है) उन्हें विद्वत् किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे।

2. वे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है:- 12 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु पूर्ण पालना अभी भी बकाया है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/6954/2014	Road work from Jalwara to Kishanpura	Road	2.96	08.09.2014	IP granted on 23.8.2016
2	FP/RJ/ROAD/6956/2014	Road work from Nehroopur to Jhirl	Road	3.2	19.09.2020	IP granted on 4.8.2016
3	FP/RJ/ROAD/6982/2014	Road work from Gordhanpura to Gatta	Road	2.22	7.09.2014	IP granted on 5.2.2016
4	FP/RJ/ROAD/6988/2014	Road work from Ramgarh kalapatta to Karbala Laxmipura	Road	2	8.09.2014	IP granted on 1.10.2016
5	FP/RJ/ROAD/6994/2014	Road from Khandela to halawni	Road	2.05	8.09.2014	IP granted on 04.8.2016
6	FP/RJ/ROAD/6996/2014	Road from Bhanwargarh to Ranwasi	Road	2.5	8.09.2014	IP granted on 27.12.16
7	FP/RJ/ROAD/6997/2014	Road from Kasbathana to Bmangaon	Road	5.2	8.09.2014	IP granted on 23.08.16
8	FP/RJ/ROAD/6999/2014	Road from Dkonia to Talawara	Road	7.5	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
9	FP/RJ/ROAD/7000/2014	Road from Gordhanpura to Kalimati	Road	2.8	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
10	FP/RJ/ROAD/7127/2014	Road from Mamlilaxmipura to Patpadi	Road	1.14	13.09.2014	IP granted on 19.01.21
11	FP/RJ/ROAD/8746/2014	Road from Rajpur Benta to Isatori	Road	2.97	18.12.2014	IP granted on 04.08.16

उक्त के संबंध में सर्व सहमति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. कोसं 0 7 पर अंकित प्रस्ताव में सड़क निर्माण आवश्यक नहीं होने के कारण पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त किये जाने के प्रस्ताव में स्मरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय को जारी किया जावे।
2. कोसं 0 2 एवं 8 में वर्तमान दरों पर उप वन संरक्षक द्वारा डिमांड नोट जारी किये जा चुके हैं जिन्हें नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यूजर एजेन्सी एक सप्ताह में राशि जमा करायी जाकर अनुपालना उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे। उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक शीघ्र पालना को अग्रेषित करेंगे।
3. कोसं 0 3 में उप वन संरक्षक द्वारा 2 दिवस में डिमांड नोट जारी करेंगे एवं यूजर एजेन्सी अग्रिम कार्यवाही पूर्ण किय जाना सुनिश्चित करेगी।
4. अन्य प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन हो चुका है उनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी निर्देशिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करेंगे एवं तदनुसार ही मांग पत्र जारी करेंगे उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अंत में बैंक सधन्यवाद समाप्त की गई। बैंक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्रमांक एफ 14(PWD)/एफसीए/प्रमुख/ 7329-22
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, वारां।
3. श्री एन.एम. सिंघान, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. श्री हरि प्रसाद मीना, अधीक्षाधी अभियंता, PWD, शाहाबाद।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधीक्षाधी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

भवदीय,
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर
दिनांक 28-08-2023.

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद

क्र.सं. :- 380

दिनांक :- 01-06-2025

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जनदप बारन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या
FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाडा से किषनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु निर्माण हेतु
2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन विना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

संदर्भ :- शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(22)वन/2015

दिनांक 27.01.2025

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 07.7.2023 को अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 22,83,348 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक

22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने के कृपा करें।


(हरि प्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

क्रमांक : 692

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

दिनांक : 12/3/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96
हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6954/2014

प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.

14()2018/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं./1490-91 दिनांक 11.06.2024 के
क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the
reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS Dated 29.07.2024 :-		
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 1568 दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 677 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 23.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	वन विभाग द्वारा बार-बार आक्षेप लगाने एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य किया गया है। अतः Violation नहीं किया गया है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पुनः संलग्न है। (प्रति संलग्न)
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नहीं है।	श्रीमान् के स्तर से किया जाना है।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नहीं है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pvd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 677

दिनांक : 10/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जनदप वारन मे आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या
FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाडा रो किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि
के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र
सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व
में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 3,82,284/- (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

बसन्त कुमार गुप्ता

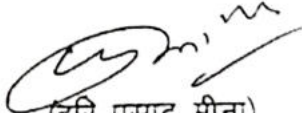
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 982069/- एवं राशि रु. 1405868 कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. स्तंभों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है। सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में

बसन्त कुमार गुप्ता

अतिरिक्त अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

8	दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।


 (हरि प्रसाद मीना)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 54

दिनांक : 18/11/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जनदप बॉरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या
FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि
के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :-

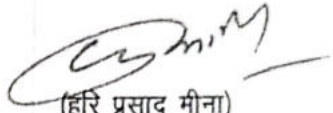
क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 3,82,284/- (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0)/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 982069/- एवं राशि रु. 1405868 कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फीट ऊँचे आर.सी.सी. लिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिसपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है। सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।
शर्त संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर

बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाही अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

8	दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।


 (हरि प्रसाद मीना)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

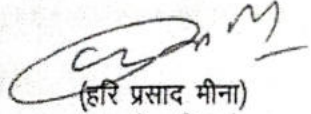

बसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की
अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

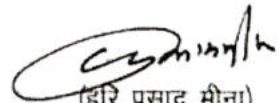
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमावन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

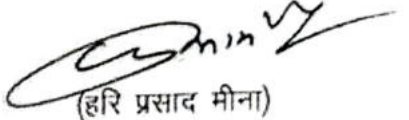

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02. '2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 982069/- एवं राशि रु. 1405868 कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

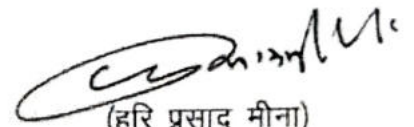

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा। प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

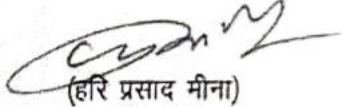

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

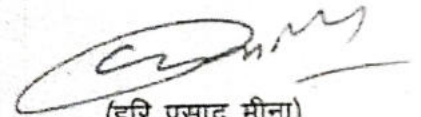

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


वसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

Land to be allotted to Forest Department

21/09/2014
15/11

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectares)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Old Cases						
1	Chhabra	Chhabra	PMGSY	गाहरी से गढ़गाव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मागली से मोहनपुर	2.00	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोए से मदनचौकी बायां हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054 / SHW	कोटा धरगावडा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेडा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गढ़पुरा से जैतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	बिकोनिया से तलावडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से शिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिंदी से रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/6 से धुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरवा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैतवा ✓	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	बारवायाना से बगनवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	जनी कंदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावडा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलयाडा से किरानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	कंदारकुई से गुहात ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भवरगढ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीगाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली बायां दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा घटपडी सड़क	2.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectares)	Remark
1	2		3	4	5	6
29	NH Division	Atru		खेडली गाविया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		धरबावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालाया जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिश्चित पत्र)
अधिकृत अधिकृत
संविधान के अंतर्गत

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिकांशी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
रा.उ.-शाहादाद

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KIVARNA NO. 1 30, 41, 42, 114, 115, 116, 118, 140 (Village: BELAND) KIVARNA NO. 1173, 1175 (Village: BORHONG) KIVARNA NO. 1 308 (Village: THORPA)
Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

KIVARNA NO.			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहीबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित राइट्स ऑफ़ जमीन के अन्तर्गत जिला जल संसाधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 120-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग को नाम आसीट की गई है।

तहसील अन्ता गांव झिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि जांचकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अवैधता एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	गांव	खसरा नं.	रकबा (है०)
1	अन्ता	झिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.00
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 122 (नरेन्द्र राणा (व.र.))

2 नाका प्रमारी अश्विनी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी उपरिष्ठ भूमि का (लीज) कर जमा

2 कानूनगो

अश्विनी
06/09/17

(अशोक सनाइया)
अतिरिक्त अभियन्ता
नि.वि. खण्ड शाहाबाद

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

बसन्त कुमार गुप्ता
अतिरिक्त अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

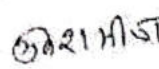
प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तर पर वनों द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताला की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वापसी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

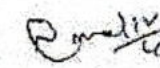
1 वनरक्षक  (नरेंद्र शर्मा (क.र.))

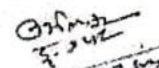
2 नाका प्रभारी  06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

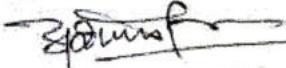
राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  02/09/17

2 कानूनगो  6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा


(अधीनस्थ अधिकारी)
अधीनस्थ अधिकारी
उप वन संरक्षक


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिराशी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिनका जमीन बारा द्वारा अधिग्रहण क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे.म) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्ता नाम तोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि सामान्य कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का गैर औद्योगिक एवं व्यापिक प्रकरण विचारणीय नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि गैर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्पादित ली गई है।

क्र.सं.	जमीन	प्रकार	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		तोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 कित्ता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 वन्य प्रवासी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

4 वन्य पटवारी

5 वन्य प्रवासी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

(अशोक सनाढ्य)

अधिरापी अभियन्ता
खण्ड-शाहाबाद

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिरापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

पृष्ठ सं. 26 (अं.)
(दक्षिण दिग्गम 153 अं.)

नाम :- ताखा

अंतिम चौकना आधार सम्वत् :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थावी

हस्ता :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज सरकार

नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

सं. :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 105

सं. :- शारी

खाता संख्या पुराना :- 100

कार का नाम :-

उपचन संरक्षक बारा वन विभाग हिम्सा- पूर्ण संस्था के लिए

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
103	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
सं. नम्बर - 1	2.2500	2.2500				

उपरोक्त केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपरोक्त उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



(अज्ञात सनाइय)
अधिरापी अभियन्ता
ज.वि.वि. अण्ड शाहाबाद

(अज्ञात सनाइय)
बसन्त कुमार गुप्ता
अधिरापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
अण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

पृष्ठ पी-26 (बी)
(देविये नियम 153 ग)

नाम :- मोरसन

पिता :- मोरसन

पति :- मोरसन

पत्नी :- अन्ता

पुत्र :- बाने

अंतिम जोसका आधार संवत् :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

खाता संख्या नया :- 617

खाता संख्या पुराना :- 1

कार का नाम :-

वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
173	19.1500	गै.मु.जंगल	19.1500	0.00	
175	19.7600	गै.मु.जंगल	19.7600	0.00	
176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00	
177	18.6600	गै.मु.वर्गडा	18.6600	0.00	
1527	26.0000	गै.मु.जंगल	26.0000	0.00	
1528	32.8500	गै.मु.जंगल	32.8500	0.00	
1529	31.5000	गै.मु.जंगल	31.5000	0.00	
1530	17.6000	गै.मु.जंगल	17.6000	0.00	
1531	21.0000	गै.मु.जंगल	21.0000	0.00	
1532	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1533	15.0000	गै.मु.जंगल	15.0000	0.00	
1543	12.4900	गै.मु.जंगल	12.4900	0.00	
1544	11.4500	गै.मु.जंगल	11.4500	0.00	
1548	24.3600	गै.मु.जंगल	24.3600	0.00	
1552	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1781	15.2600	गै.मु.जंगल	15.2600	0.00	
1784	6.3100	गै.मु.जंगल	6.3100	0.00	
1785	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1786	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1787	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1788	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1789	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1790	13.3400	गै.मु.जंगल	13.3400	0.00	
1791	6.0000	गै.मु.जंगल	6.0000	0.00	
1795	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1796	11.1000	गै.मु.जंगल	11.1000	0.00	
1795/1968	0.9000	गै.मु.जंगल	0.9000	0.00	
1797	8.0000	गै.मु.जंगल	8.0000	0.00	
1798	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1799	7.5600	गै.मु.जंगल	7.5600	0.00	
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल	20.0600	0.00	

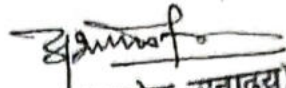
बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

21.3800	मै.मु.जंगल	21.3800	0.00
16.0600	मै.मु.जंगल	16.0600	0.00
16.0600	मै.मु.बगडा	16.0600	0.00
34	502.8500	502.8500	

अनुपेक्षित प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020


(अशोक सनादय)
अधिरापी अभियन्ता
ए.मि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिरापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेबट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

(विधि विवम 153 ए)

काम :- बिबेणी

अंतिम बोलवा आधार मसबत :- 2076 - 2079 जमावदी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

काम :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज, सरकार

वि. नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

काम :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

काम :- बारी

खाता संख्या पुराना :- 78

कार का नाम :-

उप वन संरक्षक द्वारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत लगान	मिचार्ड के माध्यम अन्तरण के क्रम में प्रमाणित तामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
14	5.8000	गै.मु.बरडा 5.8000	0.00		
15	9.5800	गै.मु.बरडा 9.5800	0.00		
16	7.7000	गै.मु.बरडा 7.7000	0.00		
38	10.8100	गै.मु.बरडा 10.8100	0.00		
49	3.6300	गै.मु.बरडा 3.6300	0.00		
39	13.2000	गै.मु.बरडा 13.2000	0.00		
41	5.0000	गै.मु.बरडा 5.0000	0.00		
42	6.5200	गै.मु.बरडा 6.5200	0.00		
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



(प्रशोक लनाइया)
अधिराधी अभियन्ता
प.वि.वि. खण्ड शाहाबाद

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिराधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

10
हुए
दिल्ल
विश

Scanned by CamScanner

Health insurance scheme for J&K

Full report on www.tol.in

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. **RAMES**

to be downloaded from the link

दिनांक : 23.08.2016

8. प्रयास्यत अभिकरणं पूर्वं राज्य सरकाराः अस्मान् लब्ध्वा भवितुं मया राज्याः परित्यागः संपादितः, कानूननिकाः दिशः विदेशाः काः पालनः कार्याः ।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिकाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	2338696/-

Amount in Words Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V. NO. 3750
23/4/19

उपकार्यकारी
शाहाबाद (जिला-बारा)

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	2338696/-

Amount in Words Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

18-Apr-19, 4:12

क्रमांक:- एण्ड-4(5)(30) राजस्व / 2014.

दिनांक: नवम्बरी, 2017

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं०	रकबा (है०)	भूमि की क्रिसम
	अन्ता	बिलेष्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
					गैर मुमकिन बरडा
					बंजड
				7.70	बंजड
			135	10.81	बंजड
			143	3.63	
			8 कित्ता	62.24	गैर मुमकिन बरडा
			1175	19.75	गैर मुमकिन बरडा
			1176	19.15	
2		सौरसन	2 कित्ता	38.51	गैर मुमकिन बरडा
			369	2.25	
		ताखा	11 कित्ता	103.40	है०
		कुल योग			

अन्ता से अगल दरामद किया जावे।

103-42-65
ता.खा. 11 दिना
कुल योग ११ दिना
नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

बारा
फरवरी, 2017

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सांस्कृतिक शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3), विभाग, जयपुर।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजौर 13
 2. उप दन संरक्षक, दारा।
 3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दूत, दारा।
 4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
 5. सहसीलदार अन्ता को भेजकर लेना कि प्रादेशिक समेकित योजना के अन्तर्गत विकास में अन्तर्गत
 6. दारामद कर पालना भिजवाये।
 7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, दारा।
 8. रक्षित प्रशासकी।
- जिला कलक्टर
दारा।

जिला कलेक्टर
बारा

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिकाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण तिभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail: dcl.brn.forest@calashan.gov.in, Tel.No. 074538230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / ज.य.रा. / 2022-23 / 520

दिनांक 22/11/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

साठ नि० नि० खण्ड शाहाबाद।

विषय - जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा रो किशनपुरा सड़क के निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवाड़ा रो किशनपुरा सड़क के निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को जारी की गई थी।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या - 2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	164100	485736	2.96	198000	586080	485736	100344

2. बिन्दु संख्या - 5 के (ग) के कम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	626000	1852960	2.96	957780	2835029	1852960	982069

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a) उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 1.8348 है०

c) NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d) शास्त्री की गणना 19.08.2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक

$$1.8348 \times 4 \times 957780 = 7029339 \text{ /-}$$

e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्त्री के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$7029339 \times (20/100) = 1405868$$



बसन्त कुमार गुप्ता

अधिशायी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड-शाहाबाद

4- कुल राशि का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	586080	485736	100344
2	NPV की राशि	2835029	1852960	982069
3	दण्डातमक राशि	1405868	0	1405868
	योग	4826977	2338696	2488281

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि $100344 + 982069 + 1405868 = 2488281$ रु. केम्पा मद Online e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1.अति-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2.संनागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3.अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां


बसन्त कुमार गुप्ता
अभियायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जयपुर-शाहाबाद

Reference No : 50612268

Government Of Rajasthan
WAM Inner/Outer Sheet

Department Code : 65

Month/Year : Feb/2024

Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist. BARAN) (18436)

Office ID : 18436

Bill For Works Payment : WAM Payment

Division Name : PWD SHAHBAD

Reference No : 3902310

Wam Reference No : #1/1 of 907870

Date : 19/02/2024

Division Code : 120

Bill No : 50612268

TAN : JH001436B

Demand No : 44

DDO Code : 18436

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

Object Head : 21

Budget Head : 3054-03-337-01-01/SFN

NA : 0.00

Contingency Head :

To.

The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD

Please Order to pay ₹ 2488281 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

अभिषापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबादअभिषापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of claim that is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of sanctioned budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal) of DDO

अभिषापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID आई० डी० कोड नं० - 18436	Budget Head आई० डी० कोड नं० - 18436
1	Rajasthan Campa 7 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169540108 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0+ 1/1/1900 12:00:00 AM	2488281.00 2488281.00	3902310	

Gross Amount Rs. 2488281.00

B.T Amount: Rs.

Net Amount Rs. 2488281.00

Amount In Words : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE Only

Sign Of DDO with Seal - Sign of DDO

अभिषापी अभियन्ता

For Accountant General Office

Treasury

Admitted ₹
Objected ₹

Pay ₹ : 2488281.00

खण्ड - शाहबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

(In Words) : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY

B.T. Heads :

Total :
(In Cash) ₹ : 2488281.00
(In Words) : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY

Auditor

Supdt

Gaz. Officer

Auditor

AMO-VII

Treasury/Sub Treasury Officer E.Sqn

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
SW Courtesy National Informatics Centre, Rajasthan State Unit (<http://paymanager.ra.nic.in>) Group Name: 3054 SHWForwarded 1 min
Print Date & Time 19/02/2024 05:35 PMबसन्त कुमार गुप्ता
अभिषापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहबाद

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Form RPWA 28

Public Works Department, Jalpur

No. & Date:

Ref No.: 1382, Dated: 19/02/2024

PayManager Ref. Id(s): 3902310

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHABAD
(DisLBARAN)

Division Code: 18436

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are sullable)

Work: Deposit amount for repatration of forest Land of various road In PWD DN Shahabad

Vendor Name: Rajasthan Campa 7

Sanction/Autorization/BillNo: 6169540106 Dated: 19/02/2024

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856169540106

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 24,88,281

(In Words): Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-03-337-01-01-21-V-P	2488281	WorkId: 182145

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (First column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr.	Amount Dr.	Remarks
3902310	3054-03-337-01-01-21-V-P	2488281		2488281 WorkId: 182145
	Payment Through Treasury	2488281		

Net Amount Payable In Figures: 24,88,281

Net Amount Payable In Words: Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

[Signature]
खडीय लेखाकार

डा. वि. वि. चण्ड शाहाबाद

[Signature]
For use in Divisional Office
आधिकायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई.डी. कोड नं. - 18436

Courtesy: <https://www.rajasthan.gov.in> (Printed on 2/19/2024 3:39:03 PM)

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिकायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद

Scanned by CamScanner

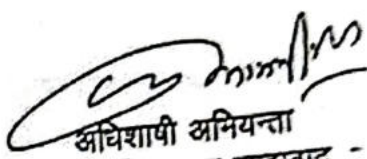
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 1140

दिनांक : 19/02/2024

कार्यालय आदेश

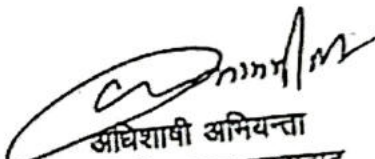
इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के विल प्राप्त संख्या 6169540106 दिनांक 19.02.2024 राशि रु. 2488281.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Reoatration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(जबका से छिरानपुरा)


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद -
दिनांक : 19/02/2024

क्रमांक : 1140

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217Baran
Amount(In Rs)	2488281/-

Amount in Words : Twenty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169540106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs 2488281/- only
[Rs Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand
Two Hundred Eighty one only]

[Signature]

अधिसापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
आई० डी० कोड नं०-18436

https://

https://forestclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217 Baran
Amount(In Rs)	2488281/-

Amount in Words : Twenty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Eighty-One Rupees Only

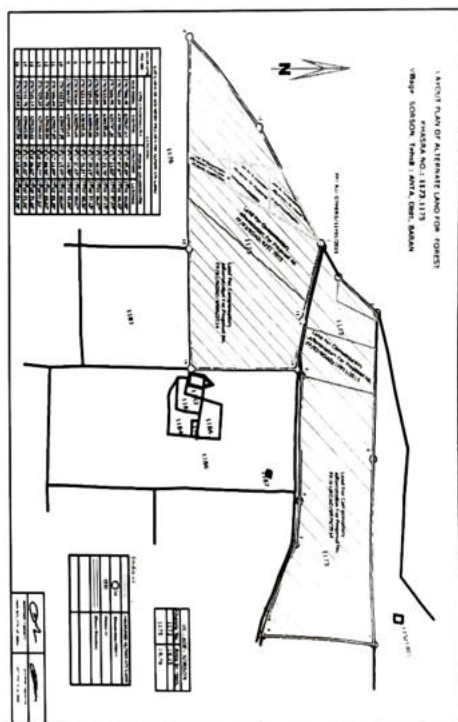
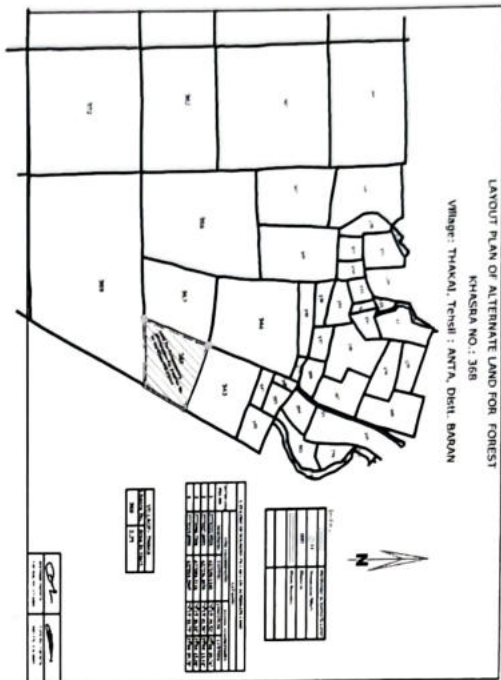
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169540106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

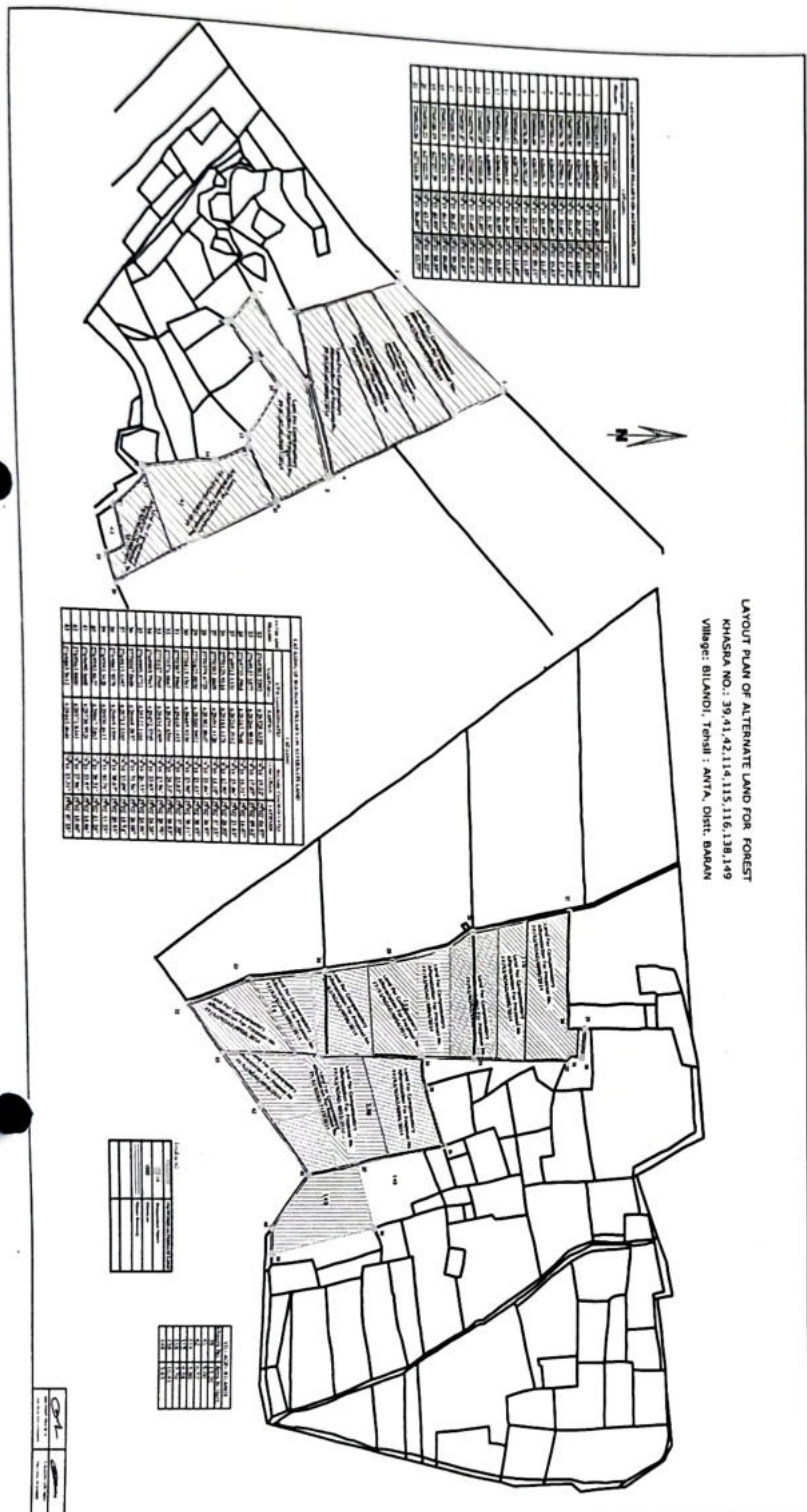
* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

[Signature]

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिकाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद



कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail: dc.f.bra.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 07463-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 5847

दिनांक 24-5-2024

निमित्त:-

समागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- जलवाडा रो किशनपुरा राडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाड के पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 का प्रकरण में सौद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2024 को स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टेकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 हे० गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए रुपये 3,82,284/- (2.96 हे० RS. 1,29,150 प्रति हे०) केम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 हे० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 हे० 164100/- रु. प्रति हेक्टर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 हे० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहवाड

संख्या 3	है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.52 लाख (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फीट ऊँचे आर.सी.सी. पीलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिसपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बगाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहादद

प्रयोग अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विधि निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोग अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विधि-निर्देशों की पालना हेतु अपडेट किया प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, थ. नोडल अधिकारी राज 0 जयपुर।
2. अधिशाही अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां

बसन्त कुमार गुप्ता
अधीनस्थ अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद